MANUAL ON COMMUNITY APPROACH TO FLOOD MANAGEMENT IN INDIA

KAMTA PRASAD

The Associated Programme on Flood Management

World Meteorological Organization

Global Water Partnership

Manual on Community Approach to Flood Management in India

in Hindi

Kamta Prasad

Associated Programme on Flood Management

बाढ़ प्रबंधन में जन समुदाय की भागीदारी
बाढ़ प्रबंधन नियमावली का प्रारूप

भाग – 1 : संस्थागत पहलूं

1.1 बाढ़ प्रबन्ध समिति (बा.प्र.स.)

- ✶ बाढ़ से सम्बन्धित सभी मुद्दों/कार्यों की व्यवस्था करने के लिए एक पंचायत के द्वारा पंचायत स्तरीय एक बाढ़ प्रबन्ध समिति की स्थापना की जाएगी।
- ✶ बा. प्र. स. औरतों, पुरूषों, सामाजिक/व्यावसायिक तथा अन्य हित समूहों की होगी।
- ✶ यह समिति पंचायत की देख–रेख के अन्तर्गत कार्य करेगी।
- ✶ बाढ़ प्रबन्ध समिति के सभी सदस्यों की संख्या पंचायत के द्वारा निर्धारित की जाएगी। कम से कम आधे सदस्यों को पंचायत द्वारा चुना जाएगा। ये सदस्य या तो पंचायत सदस्यों में से होंगे या उन असदस्यों में जो कि पंचायत के क्षेत्र के अन्तर्गत रहते हों। चुने गए सदस्यों को यथा सम्भव, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठनों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
- ✶ बा. प्र. स. बाकी सदस्यों का इस प्रकार से चयन करेगी कि खण्ड़ तथा जिला प्रशासन, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) चिकित्सकों, अभियन्ताओं तथा बाढ़ प्रबन्ध में अन्य उपयोगी लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।
- ✶ बा. प्र. स. का एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और कुछ ऐसे कार्यकारी अधिकारी होंगे जिसे कि पंचायत निर्धारित करे।
- ✶ पंचायत का प्रधान बा. प्र. स. का अध्यक्ष होगा।
- ✶ बा. प्र. स. अपने सदस्यों में से किसी एक को निम्नलिखित कार्यों को करने के उद्देश्य से सचिव के तौर पर निर्वाचित करेगी।
  - बाढ़ के दौरान और बाढ़ के हट जाने के बाद भी प्रधान को दिन–प्रतिदिन के मुद्दों के बारे में जानकारी, सहायता, परामर्श देना।
  - प्रधान की अनुमति से पंचायत की ग्राम सभा की एक बैठक का प्रबन्ध करना, और इस सारिणी में निर्धारित किये गए मध्यान्तरों पर बा. प्र. स. की पुनः निरीक्षण बैठकों को बुलाना।
  - बा. प्र. स. की बैठकों का मुद्दा तथा बैठकों के कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।
  - समय–समय पर वह कार्य करना जो कि बा. प्र. स. द्वारा सौंपा जाय।
- ✶ बा. प्र. स. अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए, कोषाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करेगी।
  - बा. प्र. स. का आय–व्यय खातों का हिसाब रखने के लिए।
  - कोषों का रखवाला करना।

- खातों को उसी रूप में जांच करवाना जिस रूप में पंचायत के सामान्य खाते जांचे जाते हैं।

✶ पंचायत के निलम्बित होने पर, बा. प्र. स. यदि पहले से है तो एक सदस्य को मुख्य कार्यवाहक अधिकारी के रूप में चुनेगी। खण्ड़ विकास अधिकारी के द्वारा इस चुनाव का प्रबन्ध किया जाएगा। सचिव तथा कोषाध्यक्ष पूर्व आधार पर जारी रहेंगे। यदि बा. प्र. स. की रचना से पहले पंचायत निलम्बित कर दी जाती है तो क्षेत्र विकास अधिकारी अगली पंचायत तक न होने तक कार्यो के लिए एक कार्यवाहक बा. प्र. स. का गठन करेगी। यदि सम्पूर्ण पंचायत राज व्यवस्था निलम्बित हो तो जिला परिषद का मुख्य अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट जैसे हो सके, बा. प्र. स. के कार्यो को करने हेतू जिम्मेदारी लेंगे।

✶ बा. प्र. स. सभी निर्वाचित प्रतिनिधि (उन्हें छोड़कर जो सरकार द्वारा नामित हो या बा. प्र. स. द्वारा सह–नियुक्त किये गये हों) तीन साल के कार्यभार संभालेंगे उनमें से एक–तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होंगे।

✶ कोई भी सदस्य लगातार रूप से दो से ज्यादा सत्रों के लिए कार्यभार संभालने का अधिकारी नहीं होगा।

✶ कुल सदस्यों की पचास प्रतिशत संख्या बा. प्र. स. की बैठकों के लिए निर्दिष्ट संख्या होगी। अपने कार्यो को आधार तथा गति प्रदान करने के लिए बा. प्र. स. कार्य प्रणालियों तथा नियमों को बनाएगी/उल्लेख करेगी।

✶ ग्राम पंचायत भवन के एक भाग को बा. प्र. स. के दिन–प्रतिदिन के कार्य कलापों को करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

1.2 नियन्त्रण कक्ष

✶ बाढ़ प्रबन्ध समिति एक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगी जो कि इसके स्वयं के सदस्यों द्वारा चलाया जाएगा। उसके नाम की जानकारी सबको दी जाएगी।

✶ नियन्त्रण कक्ष को पंचायत भवन में स्थापित करना श्रेयस्कर होगा।

✶ नियन्त्रण कक्ष के पास इसके मुख्य स्थान पर एक पूछताछ काउन्टर और एक सूचना प्रदर्शन पट्ट होगा।

✶ सभी प्रकार की ताजा जानकारी के लिए खण्ड़ नियन्त्रण कक्ष के पास तथा जिले स्तरीय सभी आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नम्बर उपलब्ध रहेगें।

✶ नियन्त्रण कक्ष सभी प्रकार के सामान जैसे नाव, टेन्ट, खाद्य पदार्थो आदि के जिले के अन्दर उपलब्धता की स्थिति के बारे में आपातकाल के दौरान सही समय पर पूरी जानकारी रहनी चाहिए जिससे कि उपलब्ध करवाने में मदद मिले। उन्हें शीघ्र कैसे मंगाया जाय इसकी भी जानकारी होनी चाहिए।

✶ बाढ़ सत्र प्रारम्भ होने से पहले नियन्त्रण कक्ष निम्नलिखित प्रयासों को करेगा।

- पूर्व अकस्मात योजना बनाना तथा बाढ़ में करने वाले कार्यों की सूची बनाना।
- बाढ़ के दौरान सभी व्यक्तियों को उनके कत्तव्यों को सौपना।
- उपरोक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

- ऐसे सामानों जो कि नियन्त्रण कक्ष में होने वाले सभी आवश्यक सामानों को जुटाना तथा देख–रेख तथा मरम्मत करना ताकि हर उपयुक्त समान समय पर कार्य में प्रयोग की अवस्था में हो।

✶ सम्भावित बाढ़ सत्र के एक हफ्ते पहले से बाढ़ समाप्त होने के एक हफ्ते बाद तक सभी सामान तथा निरीक्षण कक्ष के कार्यकर्ताओं को तैनात हो जाना चाहिए।

✶ नियन्त्रण कक्ष

- जिला तथा क्षेत्र प्रशासन नजदीक के गांवों या शहरों तथा अन्य दूसरे स्रोतों के साथ–साथ रेड़ियो, टी.वी. निगरानी चौकी आदि से बाढ़ तथा वर्षा के अनुमान के बारे में जानकारी लेगा।
- गांवों के लिए कार्य योजनाओं पर पूर्वानुमानों का क्या परिणाम होगा इनका पता लगायेगा।
- उपरोक्त परिणामों को समुदाय तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) यदि उपलब्ध हों तो उनके बीच में सूचना पट्ट, ढोल–बजाकर, निगरानी चौकियों व अन्य माध्यमों के द्वारा पहुंचायेगा।
- सम्बन्धित व्यक्तिओं को बाढ़ की यथोचित चेतावनी जारी करेगा।

✶ नियन्त्रण कक्ष बाढ़ अनुमान, चेतावनी और अन्य बाढ़ प्रबन्धों से सम्बन्धित क्षेत्रीय तथा जिला दोनों स्तरों की ऐजेंसियों के निरन्तर सम्पर्क में रहेगा। यह आस–पास के गांवों और शहरों के सम्पर्क में भी रहेगा।

✶ बाढ़ के दौरान तथा जब बाढ़ की सम्भावना हो तब नियन्त्रण–कक्ष दिनरात काम करेगा।

✶ नियन्त्रण कक्ष को–

- भूमिगत टेलिफोन,
- मोबाईल/रोमिंग फोन (उपलब्धता के आधार पर)
- छोटा रेडियों, वाकी टॉकी, HF/VHF वायरलेस सेट आदि जैसे संचार के स्रोत प्रदान किए जाने चाहिए।

✶ नियन्त्रण कक्ष सेना के अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के परामर्श के साथ विमान या हेलिकाप्टर द्वारा उपर से राहत सामग्री गिराने के लिये उपयुक्त स्थलों की पहचान करेगा। यह ग्रामवासियों को इन स्थलों के बारे में सूचित रखेगा।

1.3 बहुउद्देश्य बाढ़ शरणालय (ब. बा. श.)

✶ प्रत्येक 500 बाढ़ पीडितों के लिए लम्बे समय तक बहुउद्देश्य बाढ़ शरणालय बनाया जाना चाहिए।

- किसी पंचायत में ऐसे शरणालयों की संख्या वहाँ पर बाढ़ के विस्तार तथा क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।
- एक व्यक्ति के लिए कम से कम आराम के लिए लगभग 3 वर्ग मीटर का स्थान रखा जा सकता है।
- Accomodation को बढ़ाने के लिए टेन्टों, प्लास्टिक कवरों आदि को लगाकर इस भवन की छत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

- बाढ़ शरणालय ऊंची भूमि पर बनाया जाना चाहिए और बहुमंजिल होनी चाहिए। बाढ़ की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए इस भवन की ऊँचाई तय करनी चाहिए।
- मृदा अपरदन को रोकने के लिए यह ऊंची भूमि अच्छी तरह से पेड़ों, पौधों तथा घासों से जमाई जानी चाहिए।
- पड़ोस में ऊंची भूमि की उपलब्धता न होने पर इन भवनों का निर्माण कंक्रीट के खम्भों पर होना चाहिए।
- पीड़ितों को ब. बा. श. में आसानी तथा शीघ्रता से पंहुचने के लिए जंहा तक सम्भव हो, ब. बा. श. को गांव के समीप ही होना चाहिए। अधिकतर उपयोगकर्त्ताओं से बाढ़ शरणालय की आदर्श दूरी 1.5 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि सार्वजनिक भवन जैसे विद्यालय आदि ऊंची भूमि पर हैं तो इनको भी बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी बाढ़ शरणालय के रूप में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे भवनों में एक बाढ़ शरणालय जैसी व्यवस्था प्रदान करने के लिए कुछ सुधार किये जा सकते हैं।

✶ बाढ़ शरणालय में कुछ आवश्यक सामग्री जैसे खाद्य पदार्थ, पीने का पानी आदि रखने के लिए एक अलग कक्ष, स्वास्थ्य कल्याण के लिए एक अलग कमरा तथा माताओं का अपने शिशुओं को दूध देने और किशोर बालिकाओं तथा स्त्रियों के लिए एक अलग एकान्त स्थान होना चाहिए। इसमें विशेषकर महिलाओं के लिए पीने योग्य पानी, बिजली सुविधा, बर्तनों तथा स्थायी तथा अस्थायी मल–मूत्र कक्ष अलग होने चाहिए।

✶ ब. बा. श. के निर्माण की लागत प्रदेश प्रशासन के कोष, सांसद कोष/विधायक कोष या कुछ दानी लोगों से इकट्ठी की जा सकती है।

✶ इसकी मरम्मत तथा देख–रेख के लिए धन सामुदायिक साधन कोष से आएगा।

✶ ऐसे महीने जिनमें बाढ़ नहीं आती उनके दौरान भवन का उपयोग सम्भवतः कुछ अन्य सार्वजनिक कार्यों जैसे स्कूल, हस्तकला केन्द्र जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। बाढ़ मुक्त समय के दौरान यह भवन सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किराये पर भी दी जा सकती है।

✶ सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को बाढ़ हटने के बाद शरणालय में रहने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों में जहां कुछ बाढ़ पीड़ितों के निवास–स्थान अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो गए हों, और जो मरम्मत या पुनः निर्माण के बिना आवासीय उपयोग में नही लाये जा सकते।

✶ बा. प्र. स. के द्वारा शरणालय का तीन महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए। इसकी निरन्तर सफाई की जानी चाहिए विशेषकर जब भवन बाढ़ शरणालय के तौर पर प्रयोग किया जा रहा हों।

✶ बा. प्र. स. को बाढ़ शरणालय के अन्दर तथा आस–पास के बेकार, कूड़े करकट प्रबन्धन का स्थायी प्रबन्ध करना चाहिए।

1.4 अस्थायी शरणालय

✶ सीमित अवधि जैसे 10–12 दिनों की बाढ़ के दौरान बा. प्र. स. बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी बाढ़ शरणालय उपलब्ध कराने के लिए ऊंची भूमियों, बाढ़ रोकने के बाधों,

ऊंची सार्वजनिक भवनों आदि पर अस्थायी शरणालय बनाऐगी। यहाँ पर यह टेन्टों, पोलीथीन कवरों, दवाईओं वहनीय शोचालयों का बंदोवस्त करेगी।

1.5 अस्थायी पशु–गृह

- ✶ बा.प्र.स. पशुधन एवं चौपायों के लिए यथा सम्भव बाढ़ शरणालय के समीप ही ऊंची भूमि पर अस्थायी छप्पर बनायेगी। यदि जरूरत पड़ी तो कुछ अस्थायी प्रबन्ध बाढ़ की अवधि के लिए किए जा सकते हैं।
- ✶ पिछले अनुभव के आधार पर पशु–गृह में सभी पशुओं को अस्थायी शरण के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। साथ ही इसमें कम से कम 15 दिनों तक चारा आदि रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
- ✶ लोगों को पशुओं के चारे का जितना सम्भव हो सके खुद ही प्रबन्ध करने का परामर्श दिया जाना चाहिये। आपातकाल में बा. प्र. स. के द्वारा संचय किया गया चारा लोगों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार बा. प्र. स. से खरीदा जा सकता है।
- ✶ पीड़ित पशुओं के उपचार के लिए तथा पशुओं की सामान्य बीमारियों की औषधियों के लिए बा. प्र. स. को पशु–गृह के अन्दर एक पशु चिकित्सालय कैंप सहित एक मोबाइल पशु चिकित्सा की इकाई का प्रबन्ध करना चाहिए।

1.6 बाढ़ प्रबन्ध के लिए साधनों का संग्रहण

- ✶ बाढ़ प्रबन्ध के लिए बा. प्र. स. के द्वारा साधनों का सामुदायिक कोष बनाया जाएगा।
- ✶ कोष मूल्य का मुख्य अनुपात, जो कि 80 प्रतिशत होगा, राज्य/खण्ड/जिला/पंचायत प्रशासन द्वारा अन्शदत किया जाएगा जबकि बा. प्र. स. बाकी बचें 20 प्रतिशत भाग का रोकड़ श्रम या वस्तु में प्रबन्ध करेगी।
- ✶ सरकारी अनुदान यथा सम्भव केवल एक ही सरकारी विभाग द्वारा भेजा जाएगा जैसे राजस्व, पंचायत या ऐसे अन्य विभाग जो प्रदेश सरकार उचित समझे।
- ✶ समुदाय के द्वारा सामुदायिक साधनों के कोष के लिए साधनों में योगदान श्रम के रूप में हो सकता है।
- ✶ समुदाय द्वारा वित्तीय संसाधन निम्नलिखित ढंग से जुटाऐ जा सकते हैं–
  - धर्मार्थ मनोरंजन कार्यक्रम, गांव स्तरीय खेल, वीड़ियो फिल्म, नुक्कड़ नाटक आदि का प्रबन्ध करके और इनके टिकट बेच कर।
  - गांव में कुछ खास अवसर जैसे शादियों, सामाजिक कार्यों पर दान इकट्ठा करके।
  - मिट्टी से पटे तालाबों की खुदाई एवं उनमें मछलीपालन शुरू कर के।
  - सामुदायिक भूमि, सम्पत्तियों, बाढ़ शरणालयों का विकास कर उन्हें बाढ़ मुक्त अवधि के दौरान शादी–विवाहों, बैठकों, प्रदर्शिनी के लिए किराये पर देकर।
  - क्षेत्र के बड़े–बड़े व्यापारियों, व्यावसायियों और अन्य वाणिज्यिक संस्थानों से बाढ़ उपकर वसूल कर।
  - गांव में प्रत्येक बाढ़ पीड़ित से सालाना छोटा सा योगदान लेकर। यह राशि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार हो सकती है। राशि का निर्धारण पंचायत के द्वारा किया जाएगा।

- क्षेत्रीय विधायक/सांसद के क्षेत्रीय विकास कोष का कुछ भाग जो कि उनके नियन्त्रण में होता है, बाढ़ प्रबन्धन पर वितरण के लिए राजी करके।
- बाढ़ सहायता तथा प्रबन्ध के लिए दानी लोगों को बाढ़ सहायता तथा प्रबन्धन हेतु दान देने के लिए प्रोत्साहन देकर (लोग बहुत ही खुशी व शीघ्रता से अपना सहयोग देने आगे आऐंगे यदि यह दान आयकर की धारा 35 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के वर्ग में सम्मिलित कर ली जाती है) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर एक्ट में यह प्रावधान करने की आवश्यकता है।

✶ प्रत्येक वर्ष सामुदायिक साधन कोष के विकास के लिए प्रधान द्वारा भी प्रयास किये जा सकते हैं।

✶ बा. प्र. स., सा. सा. कोष के उचित उपयोग को सुरक्षित रखेगी और इन्हें उसी रूप में जांच करायेगी जिस रूप में पंचायत के आय–व्यय खाते जांचे जाते हैं ताकि कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे।

✶ ग्राम सभा की बाढ़ से सम्बन्धित बैठकों में आय–व्यय ब्यौरा जनता के सामने जरूर पेश किया जाना चाहिए और उनकी टिप्पणी ली जानी चाहिए। यह उपरोक्त कदम उनके बीच तथा साथ–साथ दान–दाताओं के मध्य विश्वास भी पैदा करेगा। इसका परिणाम अतिरिक्त धन प्राप्ति हो सकता है।

✶ बा. प्र. स. समुदायिक साधन कोषों पर नियन्त्रण रखेगी।

✶ समुदायिक संसाधन कोषों के लिए अलग बैंक खाता किसी सामान्य राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक जैसे कि बा. प्र. स. के द्वारा निर्धारित किया जाता है, में खोला जाएगा।

✶ खाता संयुक्त रूप से प्रधान व सचिव या खजांची जिसे बा. प्र. स. निर्धारित करेगी, के द्वारा चलाया जाएगा।

1.7 शिकायतों का निवारण

✶ बाढ़ प्रबन्ध समिति एक पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रिया को स्थापित करेगी जो कुछ इसके सदस्यों तथा कुछ गांवों के सदस्यों द्वारा बनाई जाएगी।

✶ ऐसी ही प्रक्रिया पंचायत समिति (ब्लाक) स्तर पर होनी चाहिये जिसके शीर्ष पर प्रमुख होंगे। इसके सदस्यों में कम से कम दो पंचायत समिति से होने चाहिये और कुछ सदस्य ब्लाक के सम्मानित व्यक्तियों, N.G.O. और महिला संगठनों से होंगे।

✶ पंचायत स्तरीय इकाई शरणालय के बटवारों, राहतसामग्री के वितरण तथा अन्य कारणों से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत शिकायतों को सुनेंगी।

✶ यदि कोई पीड़ित व्यक्ति समाधान से सन्तुष्ट नहीं होता तो वह पंचायत समिति तक (ब्लाक समिति) अपनी गुहार लगा सकता है। जिसका फैसला अन्तिम तथा पर मान्य होगा।

1.8 नियम एवं नीति सम्बन्धी

✶ सरकार को बीमा योजनाओं में परिवर्तन लाने में सहायता करनी चाहिए जिससे कि पीड़ितों को बाढ़ से उनकी फसलों, पशुओं, निवासस्थान को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए बीमा योजना लेने के प्रति आकर्षित किया जा सके। यदि आवश्यक हो तो सरकार राज्य सहायता उपलब्ध करा या बढ़ा सकती है यह सहायता बीमा योजना के

अच्छी तरह से स्थापित होने के बाद और बाढ़ पीड़ितों के पूर्ण रूप से उसका लाभ लेने या जानकारी होने के बाद क्रमवार घटाई और समाप्त की जा सकती है।

- बा. प्र. स. के स्थापन एवं उल्लिखित नियमानुसार कार्य करने के लिये पंचायती राज प्रबंधन का तदनुसार संशोधन करना चाहिये ताकि उन राज्यों और जिलों में ऐसी समितियां स्थापित की जा सकें जहां बाढ़ समस्या गंभीर है।
- बाढ़ सहायता तथा प्रबन्ध के दान को कर मुक्त बनाने के उद्देश्य से चालू आयकर अधिनियम के धारा 35 को संशोधित करना चाहिए, जिससे कि बहुत दानकर्त्ताओं को आगे आने तथा सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आयकर अधिनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने से बाढ़ के लिए दान सहायता की राशि में बृद्धि लाई जा सकती है।
- सरकार को बाढ़ पीड़ितों के लिए उचित मूल्यों पर तथा प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक तथा सरकारी भूमि पर मकान बनाने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए।
- सरकार को इन्दिरा आवास योजना और अम्बेडकर आवास योजना या अन्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को गृह निवास प्रदान किए जाने वाली योजनाओं की नीतियों में परिवर्तन लाने चाहिए, जिससे कि बाढ़ से क्षति ग्रस्त क्षेत्र में निवास स्थान का निर्माण प्राथमिकता पर किया जा सके।

भाग – 2 : कार्यगत पहलूं

2.1 बाढ़ के पूर्व की तैयारियां

2.1.1 पुर्नविचार तथा पूर्व योजना

- बाढ़ सत्र से लगभग चार–पाँच महीने पहले सभी सम्भावित सदस्यों की एक पूर्व बैठक बुलाकर बा. प्र. स. गत वर्ष की सफलताओं तथा असफलताओं पर पुनः विचार करेगी। जिससे कि बाढ़ के लिए आवश्यक प्रबन्ध अवरोधों से मुक्त हो सकते हैं।
- बाढ़ प्रबन्ध समिति दो–तीन माह पूर्व सम्बन्धित सरकारी विभागों/एजेंसियों को नदियों के किनारों के कटावों, नालों, छोटी नदियों, नहरों, पुलों और सड़कों, मार्गों की मरम्मत के कार्य की सिफारिश करेगी।
- यदि सम्बन्धित सरकारी एजेंसियाँ इनमें से किसी कार्य को नहीं कर सकती तो बा. प्र. स. बाढ़ आने के कम से कम एक मास पहले, अत्यन्त आवश्यक मरम्मत के कार्यों के लिये स्थानीय लोगों से आवश्यक श्रम शक्ति देने के लिये कहेगी जिसका भुगतान सरकार द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
- बाढ़ प्रबन्ध समिति सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा शारीरिक रूप से विकलांग, औरतों, बच्चों की आवश्यकताओं का पूरा तथा निरन्तर ध्यान देगी।
- बा.प्र.स. को बाढ़ सत्र प्रारम्भ होने से कम से कम एक हफ्ते पहले बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की गतिविधियाँ शुरू कर देनी चाहिये। और बाढ़ पूर्वानुमान संबंधित संदेश प्राप्त करना और इनका प्रसार शुरू कर देना चाहिये। इस कार्य को पूरे बाढ़ के सत्र में करते रहना चाहिए।

2.1.2 बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों तथा निकासी के मार्गो की पहचान करना

- ✶ बाढ़ नियन्त्रण विभाग के अधिकारियों की सहायता से अलग–अलग गहराई तक बार बार आने वाली बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और स्थानापन्न किए जाने वाले लोगों की पहचान की जायेगी।
- ✶ बाढ़ संकट से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों को दर्शाने वाले मानचित्र जिनसे आकस्मिक निष्कासन मार्ग भी दिखाये हों, बनाने चाहिये।
- ✶ भिन्न–भिन्न मुद्दों पर प्रभावित लोगों के विचार लिए जाएंगे ।
- ✶ बा.प्र.स. संभावित शरणालयों की जगह को पहचानेगी तथा उसकी जानकारी लोगों को देगी।
- ✶ बा.प्र.स. लोगों के शरणालय क्षेत्रों के साथ–साथ बाढ़ मुक्त क्षेत्रों, शहरों व गांवों तक पहुंचने के लिए निकास के मार्गों की पहचान करेगी।
  - यह जल में डूबने वाले मार्गों की पहचान करेगी, ताकि इन मार्गों से बचा जा सके।
  - सुरक्षित रूप से नांव चलाने के लिये ऐसे क्षेत्रों को बतायेगी जहां पानी की गति कम हो।
  - यह मछुआरो तथा नाविकों को उच्च विद्युतीय शक्ति वितरण प्रणाली के तारों से बचने की चेतावनी देगी यदि जल का स्तर उस खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है ।
  - उपरोक्त उद्देश्य हेतु बा.प्र.स. रंगीन चिन्हों जैसे उपयुक्त निशानों आदि को पेड़ पर लगाकर या झण्डों को खम्भों पर लगाकर इस्तेमाल करेगी।

2.1.3 जनता के समुदायों की भागीदारी

- ✶ बा. प्र. स. को स्वयं मददगारी समुहों (SHGs), युवा क्लबों, महिला मण्डलों, नारी निकेतन, शिशु शिक्षा केन्द्रों, समूहों यदि ये संगठन गांव में हों, तो उनका सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करना चाहिये।
- ✶ यदि ये संगठन गांव में नही हों, तो बा.प्र.स. इनकी स्थापना को प्रोत्साहन देगी।
- ✶ नदियों के किनारों, नहरों, मार्गों तथा पुलों पर निरन्तर निगाह रखने के लिए बा.प्र.स. को युवा तथा स्वस्थ व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिये।
- ✶ बाढ़ के पानी को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए उन व्यक्तियों को तटबन्धों के छोटे कटावों की मरम्मत के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा उन्हें इसकी जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। ऐसे स्वयं सेवक रेत के बोरों, पत्थरों, ईंटों, लकड़ी के गट्ठों, बांस तथा अन्य ऐसी ही सामग्री जो, सामान्य रूप से समुदाय से उपलब्ध हो, की सहायता से बांध के कमजोर हिस्सों को मजबूत बना सकते हैं।
- ✶ इन स्वयंसेवकों को आवश्यकता के अनुसार बाढ़ सुरक्षा एवं बचाव कार्यों और उनकी सेवाओं को बाढ़ से बचाव कार्यों में उपयोग में लाना चाहिये। इसके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

2.1.4 सामान्य जागरूकता

- ✶ बा. प्र. स. समय–समय पर गांव में बाढ़ संबंधित समायें, कार्यशालायें, प्रशिक्षण कार्यक्रम करेगी जिनमें जानकारों, विद्वानों को आमन्त्रित किया जाएगा तथा प्रिन्ट/इलेक्ट्रोनिक

साधनों, पोस्टरों, पर्चे, नुक्कड़ नाटकों तथा अन्य सामग्री का निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रयोग करेगी :

- बाढ़ प्रबन्धन में जनसमुदाय की भूमिका से जनता को अवगत करवाना।
- प्रत्येक पारिवारिक स्तर पर बाढ़ का सामूहिक रूप से सामना करने के लिये तैयार रहने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- ग्रामीण समुदाय में स्वयं रक्षा एवं सहयोगी भावना को प्रोत्साहन देना।
- जन समुदाय को स्वच्छता एवं अच्छे आवासों के महत्व तथा बाढ़ मैदानों में गृह निर्माण न करने के महत्व से अवगत करवाना ।
- सम्बन्धित बीमा योजनाओं जैसे फसल या पशु बीमा योजना के बारे जनता को जागरूक बनाना तथा लोगों को यह योजनाओं को लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार करना ।

2.1.5 सामुदायिक/जिला स्तरीय प्रशिक्षण

✶ बाढ़ प्रबन्ध समिति उन सदस्यों, स्थानीय नेताओं तथा युवाओं के लिए जिनकी बाढ़ में बचाव एवं खोये व्यक्तियों को खोजने में विशेष भूमिका हो सकती है, एक खास प्रशिक्षण का प्रबंध करेगी ।

✶ ऐसा प्रशिक्षण हर वर्ष तथा बाढ़ से दो माह पूर्व होना चाहिए ।

✶ बा.प्र.स. कुछ चुने हुए व्यक्तियों के लिए खास विषयों पर प्रशिक्षण कोर्स जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता व राहत प्रबन्धन कैंप आदि का प्रबंध करेगी। इस तरह के प्रशिक्षण पंचायत व जिला स्तर पर हो सकते हैं।

✶ बाढ़ नियन्त्रण अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा गैर सरकारी संगठनों की बाढ़ के दौरान बचाव, निष्क्रमण एवं राहत प्रबन्धन के लिये एवं पुनर्निमाण कार्यों में सामर्थ्य एवं दक्षता बढ़ाने हेतु जिला परिषद नियमित अन्तराल पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबन्ध करेगी।

✶ बा.प्र.स. सभी व्यक्तियों के लिए (स्त्री, पुरूषों व बच्चों) तैराकी प्रशिक्षण का आयोजन करेगी।

- प्रशिक्षकों को रोजना के आधार पर एक प्रतीकस्वरूप मानदेय प्रदान किया जा सकता है।
- महिलाओं की तैराकी प्रशिक्षण के लिए कुछ महिला प्रशिक्षकों का भी प्रबन्ध किया जा सकता है।

✶ बा.प्र.स. को गांव में बाढ़ प्रबन्धन के लिए फायदेमंद समझे जाने वाले अन्य क्षेत्रों का अभिज्ञान करना चाहिये और इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण का प्रबंध करना चाहिये।

2.1.6 स्वयं सहायता तथा पीड़ितों की सहायता

✶ बा.प्र.स. स्त्री तथा बूढ़े लोगों को स्वयं की सहायता तथा अपनी सम्पत्ति तथा पशुओं की सुरक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी।

✶ बा.प्र.स. बाढ़ से पहले सभी परिवारों को अपने जरूरी सामानों जैसे की छाता, पालिथीन शीट, ईंधन, टार्च, बरसाती, कपड़े, मोमबत्ती, माचिस, चटाई, मिट्टी का तेल तथा लालटेन व अन्य आवश्यक वस्तुओं का ध्यान रखने के लिए कहेगी।

- ✶ बा.प्र.स. भी इन आवश्यक वस्तुओं का एक आपातकालीन भंडार बनायेगी जिसकी बाढ़ के दौरान उपयोग के लिए उपयोगकर्ता को भुगतान करना पड़ेगा।
- ✶ बा.प्र.स. जनसमुदाय को अपने झगड़े, भेद–भाव तथा ईर्ष्या भुला कर सभी पीड़ितों विशेषकर गर्भवती स्त्रीयों, बच्चों तथा बीमार वृद्धों की मदद करने हेतु प्रोत्साहित करेगी।
- ✶ बा.प्र.स. क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों/डाक्टरों के भाषणों के द्वारा प्रोत्साहन तथा विस्तार की व्यवस्था तथा समय समय पर कार्यशाला का प्रबन्ध कर सकती है।

2.1.7 नावों का प्रबन्ध

- ✶ सामान्य बाढ़ के दौरान बा.प्र.स. अपनी कुछ मध्यम आकार की नांवों का स्वामित्व प्राप्त करेगी और इनका ठीक रख रखाव करेगी। इसके अतिरिक्त बा.प्र.स. एक उचित संख्या में बड़ी (50 व्यक्तियों के लिये सामर्थ्य) तथा मध्यमआकार (25 व्यक्तियों के लिए) की नावों का प्रत्येक बाढ़ संभावित/प्रभावित पंचायत के लिये उनकी जनसंख्या एवं बाढ़ के फैलाव के आधार पर प्रबंध करेगी। इनके चलाने तथा रख रखाव का खर्च सामुदायिक साधन कोष से लिया जा सकता है।
- ✶ ये नावें उन कुछ छोटे आकार की लगभग 10 व्यक्तियों के योग्य नावों से अलग होगी जो कि कुछ परिवारों के पास निजी उपयोग के लिये होती हैं।
- ✶ बा.प्र.स. जिला प्रशासन से बड़ी बाढ़ के दौरान उपयोग हेतु कुछ मोटर बोटों का प्रबन्ध करने के लिए कहेगी जहां साधारण नाव नही उपयोग की जा सकती ।
- ✶ बा.प्र.स. गांव में मोटर बोट पर चढ़ने तथा उतरने के स्थानों की पहचान करेगी ताकि इनका मोटर बोट के उपयोग के समय प्रयोग किया जा सके।
- ✶ नाव बनाने के लिये स्थानीय उपलब्ध सामग्री को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। स्थानीय समुदायों में नाव बनाना जानने वाले व्यक्तियों को इस काम में लगाना चाहिये।
- ✶ नाव को चलाने तथा देखरेख के लिये, गांव में रहने से लोगों में से पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को जैसे कि कम से कम छः से दस व्यक्ति प्रति नाव के हिसाब से, प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्थानीय प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षिकों के साथ–साथ नाविकों को मजदूरी प्रतिदिन के आधार पर दी जा सकती है।
- ✶ बा.प्र.स. को, जिस समय बाढ़ न हो, उस समय के दौरान अपनी नावों को जल पर रखने के लिये पर्याप्त स्थान का प्रबन्ध करना चाहिये। इस उद्देश्य से कम से कम एक बड़ा तालाब निर्धारित किया जाना चाहिये। ऐसे तालाबों का अन्य उचित कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे मछली पालन का विकास।
- ✶ इन नावों का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिये किया जाएगा। यह खाद्य सामग्री, चारा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे पारम्परिक ईंधन, एल.पी.जी. सिलेण्डर, मिट्टी का तेल आदि भी लम्बी दूरी से लायेंगी। अधिक समय तक बाढ़ रहने की स्थिति में इन नावों के द्वारा ऊंची भूमि पर अस्थायी शरणालयों में पशुओं के लिए आस–पास के क्षेत्रों से चारा भी लाया जाएगा।

* खोये/गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश करने के लिये बा.प्र.स. को कुछ जालों को भी रखना चाहिए । यह ऐसे जालों को बुनने के लिये स्थानीय मछुआरों को आवश्यक राजस्व सहायता से, कच्चा सामान तथा मजदूरी प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा सकता है।

2.1.8 प्रकाश के लिये मिट्टी का तेल, अन्य ईंधन तथा एल.पी.जी. का प्रबन्ध

* बा. प्र. स. कंट्रोल रूम, राहत कैम्प, बाढ़ शरणाघर में रोशनी के लिये, मिट्टी का तेल, एल.पी.जी. सिलेण्डर तथा अन्य ईंधनों का प्रबन्ध करेगी। इसके अतिरिक्त पैट्रोमैक्स लालटेनों का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
* सामान्य मापदण्डों के अनुसार 100 लोगों की जनसंख्या के लिये दो बड़े आकार के एल.पी.जी. सिलेण्डर का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।
* इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सामुदायिक साधन कोष द्वारा खर्चे का भुगतान किया जाना चाहिये।

2.1.9 खाना पकाने के ईंधनों तथा ले जाने योग्य चूल्हों का प्रबन्ध

* सभी परिवारों को सूखे के दौरान खाना पकाने के उद्देश्यों से अपने सामान्य ईंधनों का सूखी अवस्था में संचय करने के लिए परामर्श दिया जाएगा। इसके एक भाग का संचय प्रत्येक परिवार द्वारा बहुउद्देश्य बाढ़ शरणालयों में किया जाना चाहिये।
* राहत अवधि के दौरान राहत कैंपों की अवधि के लिए, बा.प्र.स. के द्वारा कुछ अतिरिक्त एल.पी.जी. के सिलेण्डर ईंधन के तौर पर रखे जाएंगे।
* अस्थायी बाढ़ शरणालयों में बा.प्र.स. आम रसोई की संभावना होने के बारे में सोचेगी व पता करेगी ।
* यह राष्ट्रीय बढ़ोत्तरी चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तियों को राजस्व सहायता से प्रदान किए जाने वाले ले जाने योग्य चूल्हों को खरीदने हेतु प्रोत्साहित करेगी।
* साथ–साथ, बा.प्र.स. प्रत्येक परिवार को आपातकालीन प्रयोग के लिए एक पनारीदार लोहे अथवा पनारिदार बाल्टी से बने चूल्हा रखने के लिए कहेगी।

2.1.10 खाने के सामग्री का प्रबन्ध

* बा.प्र.स. प्रत्येक परिवार को उनके निजी उपयोग हेतु आवश्यक रूप से लगभग 15 दिनों के लिए खाने की जरूरी सामग्री संचय रखने के लिए कहेगी।
* बा.प्र.स. आपातकालीन प्रयोग हेतु आवश्यक, उचित सामग्री का उचित मात्रा में जैसे गेहूं का आटा, चावल, चूड़ा, दूध पाऊडर, सूखे फल, गुड़, नमक, खाद्य तेल आदि तथा खाना पकाने के बर्तनों, पतीलों, का उचित संचय करके सामूहिक शरणालयों में रखेगी।
  - जरूरी खाने का सामान और दैनिक प्रयोग की वस्तुएं संग्रह कराते समय बा.प्र.स. के द्वारा प्रभावित, पीड़ित लोगों की संख्या, बाढ़ की आम अवधि के आधार पर एक कच्चा अंदाज ध्यान में रखा जाना चाहिए।
  - लोगों के द्वारा बा.प्र.स. के द्वारा आपातकाल उपयोग हेतु संचय की गयी वस्तुओं का प्रयोग सामान्य रूप से वास्तविक लागत के भुगतान के आधार पर प्रबंध किया जायेगा।

2.1.11 सावधानियां

- ✶ कमजोर व पुराने पेड़, फल युक्त पेड़ों सहित, जिनके बाढ़ में बह जाने के आसार लगते हैं उन्हें पहले ही उखाड़ दिया जाने चाहिए। बा.प्र.स. को इनके मालिकों से सामूदायिक भले हेतु पेड़ों को उखाड़ने के लिए कहना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें उचित भुगतान किया जाना चाहिए ।फल, यदि हो तो, पकने से पहले ही तोड़ें जा सकते हैं।
- ✶ उन्हें स्थानों पर दुबारा से पेड़, पौधे लगाने के लिये, वातावरण में संतुलन बनाये रखने के लिए, पैड़ों के मालिकों के साथ–साथ अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। सरकारी नर्सरी द्वारा मुफ्त पौध उपलब्ध करायी जा सकती है।
- ✶ बाढ़ प्रबन्ध समिति बाढ़ से घिरे गांवों में घरेलू बिजली प्रयोगकर्त्ताओं को विद्युत की तारों के टूटने की संभावना पर नजर रखने के लिए परामर्श दे सकती है। उपयोगकर्ताओं को स्वयं को खतरे से बचाने के लिये अपनी मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइनों को बन्द करने हेतू कहना चाहिए।
- ✶ बाढ़ के हानिकारक प्रभाव को जनसमुदाय पर कम से कम करने हेतु बा.प्र.स. को लोगों को अपने घरों की कुर्सी (Plinth) ऊँची करने, कमजोर दिवारों तथा खम्भों को बदलने तथा पशुगृहों आदि की कुर्सी ऊंची करने के लिए परामर्श देना चाहिए।
- ✶ बा.प्र.स. सम्बन्धित किसानों को उनकी खेती योग्य भूमि की सीमाएं पहचानने योग्य बनाने के लिए निर्देश देगी यदि उनके बीच में पिछली बाढ़ों के बाद भूमि के बारे में कोई विवाद है।
  - ऐसी भूमि के सारे कोनों में ईंट या पत्थर की बुर्जी या बबूल/झाड़ या दूसरे पेड़ सामग्री की बाड़ बनी होगी ताकि बाढ़ के बाद सम्बन्धित मालिकों की भूमि की सीमायें आसानी से पहचानी जा सकें।
  - यदि सरकारी (नजूल) भूमि है तो बा.प्र.स. यह काम खुद करेगी जिससे कि इस भूमि का आसपास के किसानों द्वारा अतिक्रमण न किया जा सके ।
- ✶ बा.प्र.स. सार्वजनिक सम्पत्ति विशेषकर तटबंधों, सड़कों, विद्यालय भवनों, टेलिफोन लाइनों, विद्युत तारो, रेलवे पटरी/फिश प्लेटों को अराजक तत्वों द्वारा हानि पहुँचाने के विरूद्ध पूरी नजर रखेगी और इनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक उपाय करेगी। यह कार्य गांवों के निवासियों के समूहों के द्वारा क्षेत्र की प्रचलित मजदूरी के आधार पर दिया जा सकता है।
- ✶ गांव को भारी क्षति से बचाने के लिये, बा.प्र.स. कमजोर स्थलों से क्षेत्र को नियंत्रित बाढ़ ग्रस्त करने का निर्णय ले सकती है। ऐसे स्थल समिति द्वारा स्थानीय लोगों और बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियरों के परामर्श के बाद पहले से चिन्हित कर सकती है।

2.1.12 फसल प्रबन्ध

- ✶ किसानों को ऐसी फसलों के प्रकारों, जो कि बाढ़ के पानी की गहराई तथा बाढ़ की अवधि में जीवित रह सकें (जैसे गन्ना, जूट और कुछ चुनींदा फलदायक पेड़) के बारे में शिक्षित तथा उनको अपनाने हेतू प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें कुछ लघु अवधि की फसलों जो कि बाढ़ काल के पहले ही काटी जा सकती है जैसे जल्दी

पकने वाली फसल, औस धान (आसाम और पं बंगाल में) तिलहन, शकरकन्दी, मसाले आदि को बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- किसानों को बाढ़ के नुकसान से बचने के लिये फसलों को समय से पहले काटने के लिये राजी किया जा सकता है।
- बा.प्र.स. किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्रों से, जो कि ज्यादातर जिलों, राज्यों में उपलब्ध है प्रशिक्षण एवं विस्तार का लाभ उठाने हेतु परामर्श दे सकती है।
- जब भी जरूरी हो किसान उनके विभिन्न कार्यक्रमों और उनकी विषय में दक्षता का लाभ उठा सकते हैं।
- किसानों को बाढ़ के बाद उपयोग हेतु बीजों के संरक्षण के लिये उन्हें किसी बर्तन में रखकर भीतरी छतों से लटकाने को या उन्हें मित्रों/सम्बन्धियों के घर बाढ़ मुक्त क्षेत्र में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन बीजों का ऊँचे मैदानों में बीज से नर्सरी बनाने में उपयोग किया जा सकता है। वहाँ उगाई गई पौध बाढ़ के पानी के निकल जाने के पश्चात वहाँ से उखाड़ कर लगाने के लिये उपलब्ध रहेगी।
- लोगों को चारा उगाने, मछलीपालन आदि अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- लोगों को अखाद्य केलों जैसे पौधों को भी लगाना चाहिए जो कि बाढ़ के दौरान ढुलाई हेतु, बेड़ा उपयोग किये जा सकते हैं।
- जल सहिष्णु प्रकार के बागवानी के पौधे उगाये जाने को प्रोत्साहन देना चाहिये।
- ऐसे पेड़ जिनसे Bio-drainage का लाभ मिलता हो, उनको नीचे स्तर के क्षेत्रो, विशेषकर रेलवे लाइनों सडकों, नहरों, नदियो आदि के किनारों पर लगाये जाने चाहिये ताकि जलभराव (Waterlogging) कम से कम हो, विशेषकर बाढ़ के दौरान।

2.1.13 फसल कार्यों का मासिक पंचाग

- बाढ़ वाले क्षेत्रो मे, बा.प.स. के पास फसल कार्यों का एक मासिक पंचाग होना चाहिए। नई तकनीक, और सहायक सेवाओ मे परिवर्तनो का लाभ उठाने हेतू इस पंचाग का कृषि विशेषज्ञों के परामर्श के साथ समय–समय पर पुनर्वालोकन करना चाहिये।
- तीन क्षेत्रो आसाम, बिहार व पश्चिम बंगाल के लिये सुझाया गया फसल पंचांग परिशिष्ट–। दिया गया है।

2.1.14 गैर–कृषि सम्बन्धी गतिविधियाँ

- मछली पालन व Aquaculture के प्रोत्साहन हेतू समुदाय को निरन्तर अन्तरालों पर, जैसे एक साल मे एक बार या दो बार, तालाब मे मिट्टी भराव की स्थिति के अनुसार तालाबो की सफाई करनी चाहिये।
- मछुवारो को मानसून सत्र के पहले अपने मछली पालन वाले जालों को तैयार रखना चाहिये।
- समुदाय के परिवारों को भी मुर्गी, बत्तख पालन जैसी आय अर्जित की जाने वाली गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने हेतू सलाह दी जानी चाहिये।
- उन्हें हस्तकलाओं व धरेलू उधोगों से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये कच्ची सामाग्री को उचित मात्रा मे इक्ट्ठा कर संग्रह करना चाहिये।

2.1.15 स्वास्थ्य सेवा व स्वच्छता

(आरोग्यता और स्वच्छता की विधियो के लिये परिशिष्ट– ।। देखे)

2.1.15.1 प्राथमिक चिकित्सा/पशुचिकित्सा सम्बन्धी देख–रेख

- ✶ डायरिया, हेपेटाईटीस– ।, टाइफाईड, कोलेरा तथा अन्य आम व्याधियों जो कि मनुष्यों तथा पशुओं को प्रभावित करती हैं, के नियन्त्रण करने हेतू स्थानीय युवाओं व महिलाओं को प्राथमिक रुप मे प्रशिक्षित किया जाएगा।
- ✶ सामान्य दाईयों का पास–पड़ोस के शहरों में चिकित्सालयों से सम्पर्क होना चाहिये तथा उन्हे आपातकाल के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वाहन उपलब्ध कराये जाने चाहिये।
- ✶ आम प्रचलित बिमारियों से बचाव के लिये टीकाकरण का प्रबन्ध करना चाहिये।

2.1.15.2 गाँवो के कुओं तथा तालाबों की सुरक्षा

- ✶ बा.प.स. को गाँवों में पीने और अन्य धरेलू उपयोग के पानी की आपूर्ति करने वाले कुओं की परिमिति पर सीमेंट से मुंडेर उठा कर ऊँची मुंडेर वाले कुओं मे परिवर्तित करवाना चाहिये ताकि उनमे बाढ का पानी न जा सके।
- ✶ धरेलू कार्यों व मछली पालन हेतू उपयोग किये जाने वाले गाँवों के तलाबों की परिमिति पर ऊँची मुडेर होनी चाहिये, जिससे कि बाढ़ के पानी को उसके अन्दर आने व बाढ़ के दौरान मछलियों को बाढ़ के पानी के साथ बहने से रोका जा सके। इसके लिये धन सरकार से उपलब्ध करवाया जाएगा।

2.1.15.3 जल का शुद्धिकरण तथा विसंक्रमण

- ✶ बा.प.स. को जल के विसंक्रमण तथा जल के शुद्धिकरण हेतू निम्नलिखित कार्य करने चाहिये।
- ✶ बाढ़ के दौरान व बाद में कुओं के पानी के सभी स्रोतो को शुद्ध करने हेतू आवश्यक कदम उठाना।
- ✶ तलाबों का विसंक्रमण एवं विलयशील पदार्थों की सफाई करवाना।
- ✶ लोक स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये फिटकरी या ब्लीचिंग पाऊडर का प्रयोग करके पीने के पानी को शुद्ध करने हेतू स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ✶ पानी को शुद्ध करने के लिये प्रयोग किये जाने वाले पैकटो व उनके प्रयोग की विधि को लोक प्रचलित बनाना।
- ✶ इन पैकटो को कंट्रोल रुम द्वारा लो.स्अ.वि. से प्राप्ति के बाद समय पर बाँटने की जिम्मेदारी लेना।
- ✶ तालाबों को विसंक्रमण हेतू विभिन्न विसंक्रमण की दवाओं के बारे में प्रशिक्षण देना।
- ✶ बाढ़ के पानी के शोद्यन एवं विसंक्रमण हेतू एक मोबाइल पैकेज शोधन यन्त्र का प्रबन्ध करना जिससे कच्चे पानी एवं पीने के पानी की समस्या का भी समाधान हो जाता है।
- ✶ जल विसंक्रमण की विधियाँ, जैसे पानी को उबालना और सोडियम हाइपो क्लोराइड और क्लोरीन की गोलियो के प्रयोग मे लोगो को प्रशिक्षित करना।

2.1.15.4 टयूबवैल तथा हैन्डपम्प ऊँचे प्लेटफार्म पर

✶ टयूबवैल व हैन्डपम्प के पानी के निकास पाइप को बाढ़ प्रभावित व सम्भावित क्षेत्रों में बाढ़ स्तर से अधिक ऊँचे चबूतरो पर रखना चाहिये तथा बच्चों के गिरने की घटनाओं को रोकने हेतू इनमें रेलिंग व सीढियाँ बनायी जानी चाहिये।

✶ बाढ़ के पानी को पम्प व बोर होल मे प्रवेश को रोकने हेतू इनको सील कर देना चाहिये।

2.1.15.5 प्राथमिक उपचार

✶ प्राथमिक उपचार व सांप के काटने, बिच्छु के काटने, मधुमक्खी के डंक लगने, मकड़ी आदि के काटने (जो कि बाढ़ के दौरान आम होते हैं) की स्थिति को सम्भालने हेतू स्थानीय लोगो खास कर महिलाओ को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

✶ जहरीले तथा बिना जहर वाले, सांपो के काटने की पहचान के लिये बा.प्र.स. द्वारा कुछ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। उन्हे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पहलुओं पर भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

✶ डायरिया से बचाव हेतू बा.प्र.स. को निर्जलीकरण की स्थिति में ORS का प्रयोग प्रचलित करना चाहिये।

2.1.15.6 घरेलू मक्खियों का नियन्त्रण

✶ अस्थायी शरणगृहों मे घरेलू मक्खियों के पैदा होने के स्थानों को नष्ट करके/जलाकर, उन्हे खाने की पहुँच से बाहर रखने तथा इन्हें पैदा करने वाले कूड़ा–करकट को कूड़ेदान मे ढका रखकर मधुमक्खियो के नियन्त्रण के बारे मे जागरुकता बढ़ानी चाहिये।

2.1.15.7 शौचालय एवं कुड़ेकरकट को हटाना

✶ बा.प्र.स. को जल स्रोतो से 16 मीटर की दूरी पर सावधानीपूर्वक शौचालय हेतू स्थान चुनना चाहिये।

- 20 व्यक्तियों हेतू एक सीट का प्रवाधान किया जाना चाहिये। पुराने कपडे के पर्दों, जूट के बैगों आदि को छोटे छोटे पखाने बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।
- अलग–अलग प्रकार की पाखाने/लैटरीन जैसे पिट लैटरीन, बोरहोल लैटरीन, डीप ट्रैंच लैटरीन उपलब्ध करवाई जा सकती है।
- गीले कूड़े–करकट का सोखन वाले गडढ़ों मे उचित प्रकार से निष्पादन आवश्यक है। कूड़ा–करकट को शरणालयो से दूर गडढ़ों मे डाला जा सकता है।

2.1.15.8 पोषक आहार–प्रबन्ध

✶ पोषण की क्षति को यथेष्ट मौसमी/सूखे फलों पहले से तैयार ठोस या चूर्ण रुप के भोजन को, उचित मात्रा मे पानी के साथ लेने से पूरी की जा सकती है जिससे निर्जलीकरण से बच सकते हैं। ऊर्जा की पुरा करने के लिए कमी को मुहँ के रास्ते से लाइन लिया जा सकता है।

2.2 बाढ़ के दौरान प्रतिक्रिया

2.2.1 बचाव कार्य हेतु नावो का संघटन

✶ जैसे ही नदी खतरनाक जल स्तर को पार करती है बा.प्र.स. को लोगों के निकालने के लिये नावों की उचित मात्रा का प्रबन्ध कर लेना चाहिये। ऐसा करते समय बा.प्र.स. को इस आम प्रचलन का ध्यान रखना चाहिये कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें।

- ✶ जब एक बार बाढ़ का पानी उच्चस्तर तक आ जाए तो इसे तुरन्त निकाले जाने के लिये परिवारों की पहचान करनी चाहिये।
- ✶ शारीरिक रुप से अपंग, बूढे, बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों को क्रमानुसार प्राथमिकता आधार पर निकाला जाना चाहिये।

2.2.2 शरणालयों का निर्धारण

- ✶ प्राथमिकता के आधार पर, बा.प्र.स. जरुरतमंदो तथा पीड़ित लोगों को शरणालयों में पहले स्थान देगी।
- ✶ ब.प्र.स. पशुओ के मालिकों को पशु शरणालय का निर्धारण करेगी।
- ✶ शरणालयों का तथा पशुशरणालयों का निर्धारण न्यायसंगत होना चाहिये ताकि उनके बीच मे कड़वाहट न पैदा हो तथा समुदाय मे भाईचारा बना रहे।
- ✶ किसी भी भवन की कमी या अनुपस्थिति मे बा.प्र.स. टेन्टो मे बने शरणालयो को बाढ़–पीडितों को उपलब्ध करवायेगी।

2.2.3 जरुरतों का अनुमान तथा राहत वितरण

- ✶ भीषण या लम्बी अवधि की बाढ होने पर, बा.प्र.स. सरकार व गैर सरकारी संगठनो के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों की वास्तविक जरुरतों का सही अनुमान लगाएगी तथा उँची भूमि पर उसी के अनुरुप राहत कैम्पो का संगठन करेगी।
- ✶ ब.प्र.स. को सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली साम्रगी तथा गैर सरकारी संगठन व अन्यों के द्वारा दान की जाने वाली साम्रगी, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार, जरुरतमंदों के मध्य अनुपात मे बाँटी जानी चाहिये।
- ✶ वितरण व्यक्तियों की आवश्यकता तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा। जैसा कि ग्राम सभाओ मे पारदर्शी तरीके से तय किया जाए।

2.2.4 स्वास्थ्य सुविधायें

- ✶ बाढ़ पीडितों के वहाँ जाने से पहले बाढ़ शरणालयों में निर्धारित किया गया स्वास्थ्य सेवा कक्ष या क्लीनिक, जहाँ जो संभव हो, को कार्य करना प्रारम्भ कर देना चाहिये।
  - बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को समीप के स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों से जोड़ा जा सकता है।
  - जो परिवार उपरोक्त में नही आते, उन्हें सरकार के किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों से जोड़ा जा सकता हैं।
  - विशेष बनाये गये स्वास्थय केन्द्रों पर उचित संख्या में चिकित्सकों व नर्सों को रखा जाएगा।
- ✶ आम दवाईयों, जल संक्रामक दवाइयों के उपयोग के बाद नष्ट की जाने वाली सीरिजों तथा अन्य बिमारियों का इलाज करने हेतू कम से कम 15 दिनो की मात्रा का संग्रह रखा जाना चाहिये।

2.2.5 हवाई राहत साम्रगी का संचय

- ✶ विनाशकारी बाढ़ के होने पर, जब सेना सहायता तथा हैलीकाप्टर के प्रयोग की आवश्यकता पाई जाती है तो बा.प्र.स. समुदाय की ओर से हवाई राहत साम्रगी के संचय करने मे मुख्य भूमिका निभाएगी।

✶ बा.प्र.स. को यह निश्चित करना चाहिये कि हवाई राहत सामाग्री का वितरण शान्तिपूर्वक व पारदर्शिक रुप मे हो रहा है।

2.2.6 पशु प्रबन्धन

✶ समय–समय की अवधि मे पशु देखमाल कैंपों का संगठन किया जाना चाहिये। जिसमे पशु चिकित्सा सम्बन्धित देख–रेख प्रदान की जा सकती है

✶ पशु आहार व सूखा चारा उचित रुप मे बाँटा जाना चाहिये। इस उद्धेश्य हेतू मानदंड बनाये जा सकते है।

✶ क्योंकि ऐसी स्थिति में, सामान तथा सेवाओं की आपूर्ति आवश्यकता से कम होती है, अतः आवश्यक न्यूनतम का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिये।

✶ बा.प्र.स. को ऐसे लोगों को तैनात करना चाहिये जो पशु देख–रेख मे प्रशिक्षित हों तथा जिनके पास ऐसे केसो का कुछ अनुभव हों।

2.2.7 कीमतों में वृद्धि को रोकना

✶ बा.प्र.स. को कीमतों की वृद्धि को रोकना चाहिये तथा गांव के आसपास व गांव के व्यापारियो की अनुचित व्यापार प्रवति से बचाना चाहिये।

2.3 बाढ़ के पश्चात राहत व पुनर्निवास

2.3.1 राहत प्रशासन व क्षति का अनुमान

✶ बा.प्र.स. को जल निकास होने के बाद पुनर्निर्माण का कार्य शुरु करना चाहिये।

✶ बा.प्र.स. को बाढ़ क्षति का अनुमान, स्थानीय मूल्यों के आधार पर करना चाहिये तथा राहत पाने योग्य पीड़ितो की पहचान करनी चाहिये।

- इसे मकानों की क्षति, फसल की क्षति, जख्मी पशु तथा मानव जीवन क्षति आदि का विवरण तैयार करना चाहिये।
- कुछ शिक्षित ग्रामीणों को नुकसान का अंदाजा तथा राहत प्राप्तकर्ताओ की सूचि तैयार करने हेतू प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- राहत प्राप्तकर्ताओ की सूचि की तैयारी मे बा.प्र.स. पूरी पारदर्शता रखेगी।

✶ बा.प्र.स. आवश्यक राहत सामग्रियों का अनुमान जैसे खाघ सामग्री, कैरोसिन/LPG, दवाईयाँ, चारा आदि का राहत अधिकारी को उपलब्ध करवायेगी।

✶ बा.प्र.स. उन बाढ़ पीड़ितों जिनके धर पूरी तरह से नष्ट हो गये हों, तथा जिनके पुनःनिर्माण के लिये अधिक समय लगेगा, को राहत कैम्पों मे अधिक समय तक निवास करने की अनुमति प्रदान कर सकती है।

✶ यह राहत प्राप्तकर्ताओं को सहायता के बारे में जो कि अन्य संस्थाएँ उन्हें सीधे रुप मे प्रदान करने के लिये तैयार हैं, के बारे मे जानकारी हों देगी जिससे कि प्राप्तकर्ता स्वयं यदि जरुरत हुई तो इन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

✶ बा.प्र.स. व्यवसायिक समुदाय द्वारा लोगो की कठिनाइयों का अनुचित लाभ नहीं उठाने देने तथा बाढ़ पीड़ितों का कीमते बढा कर शोषण करने से रोकने हेतू आवश्यक कदम उठायेगी।

- बा.प्र.स. के द्वारा निरन्तर प्रबोधन के द्वारा ऐसी बुराइयों को रोक सकती है। असफल होने की स्थिति में उचित आधिकारियों को उसकी सूचना देगी।

2.3.2 निवास स्थानों का पुनर्निर्माण

✶ बा.प्र.स. बहुत ही नीचे भूमि क्षेत्रों में, मकानों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगायेगी। यह कुछ क्षेत्र मे लोगों को मकानों को ऊँची भूमि पर बनाये जाने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

- इस उद्धेश्य के लिये योग्य अधिकारी द्वारा छूठ दरो पर अतिरिक्त लोक या सामूदायिक भूमि, यदि उच्च भूमि पर उपलब्ध हो तो, इन व्यक्तियों को प्रदान की जा सकती है। (इसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा नीति निर्णय की जरुरत होगी) प्रत्येक परिवारो को उनके अपने धरों के पुनःनिर्माण के कार्यों में, अपनी मजदूरी का सहयोग देने के लिये कहा जाएगा।

✶ बाढ़ के कारण सम्पूर्ण या आंशिक रुप से नष्ट मकानों के पुनर्निर्माण के बारे में, बा.प्र.स. को मालिकों में जागरुकता पैदा करना चाहिये तथा उन्हें सीमेंट के खम्बो पर ऊँचा करके आधारभूत बाढ़ विरोधी ढांचा बनाने जो कि थोडा बहुत महंगा हो सकता है परन्तु वह लम्बे समय तक आर्थिक रुप कारगार सिद्ध होगा, के लिये राजी करना चाहिये।

✶ मकानों के सम्मावित नक्शों के बारे में बा.प्र.स. को सम्बन्धित जानकार व्यक्तियों/संस्थानों से भी परामर्श करना चाहिये।

✶ इन्द्रिरा आवास, अम्बेडकर आवास योजना अथवा आर्थिक व सामाजिक रुप से पिछडे हुए व्यक्तियों हेतू कोई ऐसी अन्य सरकारी योजना के अन्तर्गत उत्साहित कायक्रमो के व्यावहार मे बाढ प्रमावित क्षेत्रों में कम लागत के मकानो का आकार बनाने हेतू बाढ़ प्रबन्ध समिति जिला प्रशासन से भी प्रार्थना कर सकती है तथा इन्हे योजनाओं का प्रमावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार विस्तार लिए भी बा.प्र.स. जिला प्रशासन से प्रार्थना कर सकती हैं। (इस उद्येश्य के लिए, सरकारी नीतियो मे परिवर्तन करने की जरुरत होगी)। ऐसे मकानो को नीची भूमि मे नहीं बनाना चाहिये।

2.3.3 शिक्षा का नुकसान पूरा करने हेतू अतिरिक्त कक्षाएं।

✶ बाढ़ के कारण शिक्षा का नुकसान होने पर, बाढ़ प्रबन्ध समिति को विधालयों में रविवार या अवकाशो और/अथवा दैनिक कार्य के धन्टो मे वृद्धि कर अतिरिक्त कक्षाओ का तब तक प्रबन्ध करना चाहिए, जब तक कि पिछले का पाठ्यक्रम पूरा नही हो जाता।

2.3.4 कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा करना

✶ फसलों के प्रकार के पुनरावलोकन हेतू बा.प्र.स. को पूरा करना कृषि एवं बागवानी को विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिये और इस जानकारी का जनसमुदाय मे प्रसार करना चाहिये।

✶ फसल बोते समय फसलो के मासिक पंचांग/फसल चक्र आदि का ध्यान रखना चाहिये। एक नमूना पंचांग परि.। मे दिया गया है।

✶ फसलो के कार्यों/तरीकों सम्बन्धी धटकों में होने वाले परिवर्तनों के साथ किसानों को अवगत कराने हेतू बा.प्र.स. को कुछ प्रशिक्षण व कार्यशालाओ का आयोजन करना चाहिए।

✶ उधार देने वाले संस्थानों को छोटे व मध्यम स्तरों के किसानों को छोटे सिचाई योजनाओं जैसे पैरो से चलाए जाने वाले पम्पों को खरीदने हेतू छोटे ऋण उपलब्ध

करवाना चाहिए जिससे कि बाढ़ के बाद खेती को अधिक उत्पादित किया जा सकता है।

✶ मध्य आकार की सिचाई सम्बन्धी योजनाओं (जो कि अधिक महंगी होती है) को सरकार के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वित्त प्रदान करना चाहिए। पुरा होने पर, यह स्वयं के आधार पर कार्य व देख–रेख हेतू सहकारी किसानों व जल प्रयोगकर्ता समीति को भी सौंपी जा सकती हैं।

✶ बा.प्र.स. ऐसी उपयुक्त उच्च भूमियों की पहचान करेगी जिन पर उगाई पौध/बनाई पौधशाला के बाढ़ प्रमावित होने की संमावना नहीं होगी।

- वहाँ उगाये गये छोटे कोमल पौधे बाढ़ अप्रमावित रहेंगें तथा बाढ़ के पानी के निकास के बाद फार्म भूमि पर लगाने के लिये प्रयोग किये जाएगे। उससे किसान बाढ़ के होने के बावजूद मी फसलो का लाम उठा सकेगें।
- आरम्म में बाढ़ के आने की स्थिति मे यह लामकारी रहेगा क्योंकि उस समय छोटे पौधों के विकास के लिए जलवायु स्थिति उपयुक्त होती है।
- यह अमान धान पर, जो कि आसाम व पं. बंगाल मे बाढ़ प्रमावित क्षेत्र में मुख्य फसल है पर लागू होगा।
- विशेष क्षेत्रो से सम्बन्धित अन्य फसलो के लिए मी ऐसे तरीको का विकास किया जा सकता है।

2.3.5 आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करना

✶ बा.प्र.स. को सरकार को कुछ लामकारी गतिविधियों, जैसे स्थानीय सामाग्री से चटाई बनाना, नरम खिलौने बनाना तथा हस्तशिल्प की वस्तुए बनाना, को प्रारम्म करने हेतू राजी करना चाहिए। यह लोगों को व्यस्त रखेगी तथा रोजी–रोटी कमाने के अवसर उस समय पर उपलब्ध करवाएगी जब अन्य आर्थिक गतिविधिया बंद होती हैं।

- यह बाढ़ प्रमावित क्षेत्रों में लधु तथा घरेलु उधोगों को खोलने हेतू KVIB/KVIC की सहायता ले सकती है।
- पंचायत के जल से घिरे गांवों में सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतगर्त आय प्राप्ति के कुछ गतिविधियाँ शुरु करने के लिये DRDA को राजी कर सकती है।
- परिवार को कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने तथा स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई वस्तुओं बेचने के प्रबन्ध बा.प्र.स. द्वारा होनी चाहिये।

2.3.6 स्वयं–सहायता समूहों (स.स.स.) को प्रोत्साहन

✶ बा.प्र.स. स्वयं सहायता समूहों के बनाने में सहायता कर सकती है विशेषकर महिलाओ के लिये, ताकि वे कुछ लामकारी कार्यों में व्यस्त रह सकें।

✶ यह एंजेसियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकती है तथा स्थानीय वाणिज्यक तथा सहकारी बैंकों से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिये कम राशि के ऋणो का प्रबंध, आवश्यक हो तो अपनी जमानत पर कर सकती है।

2.3.7 विविध गतिविधियाँ

✶ जब सामान्य स्थिति लौटने पर बाढ़ शरणालय खाली हो जाते हैं तब विसंक्रमक दवाओं की सहायता से अच्छी तरह साफ करके माविष्य में रहने योग्य बनाने चाहिये।

✶ जहाँ भी आवश्यक हो बा.प्र.स. बुनियादी ढाँचे की मरम्मत करके पूर्व अवस्था मे लायेगी। इस कार्य में यथासंभव गाँव के युवाओं को लगाया जायेगा।

✶ पशुओं के मृत शरीर के मलवे तथा गुमशुदा व्यक्तियों के शरीर को क्षेत्रो को महामारी फैलने से बचाने के लिये जल्दी हटाया जाना चाहिये। ये मृत शरीर जलाये या गाँव से दूर दफनाये जा सकते हैं।

2.3.8 स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधनों और सेवाओं की पहचान

✶ सामुदायिक स्तर तथा इससे बाहरी स्तर पर बाढ संघर्ष के लिये जरुरी संसाधनो और उनकी उपलब्धता का ध्यान पता रखना चाहिये। समुदायों को निम्नलिखित के बारे मे पता होना चाहिये।

- संसाधन कहाँ मिलेगें।
- इन संसाधनो के लिये किसको सम्पर्क किया जाना चाहिये?
- विभिन्न प्रकार की सेवाओं के निश्चित स्थान।
- ऐसे अधिकारी या एंजेसियां जिनके पास बाढ़ पूर्व अनुमान/चेतावानी उपलब्ध होती है।
- अनुभवी बाढ प्रबंधकों की उपलब्धता आदि।

2.3.9 फसल की पुन: उपज के लिये ऋण

✶ बा.प्र.स. को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बढावा देने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये या अनुसूचित बैंक की एक शाखा (यदि पहले से न हो) खोलने के लिये कहना चाहिये। इससे छोटे तथा सीमान्त किसान फसल उपज हेतू तथा पशुओं को खरीदने के लिये तथा अन्य सम्बंद्ध प्रक्रियाओं के लिये लघु व अन्य अवधि की ऋण सुविधायें प्राप्त कर सकेगें।

भाग – 3 – सरकार–बा.प्र.स. सम्बन्ध

3.1 जिला बाढ़ समिति

✶ एक ऐसी जिला स्तरीय बाढ़ प्रबंध समिति बनायी जायेगी जिसके शीर्ष पर जिला मेजिस्ट्रेट होगें। समिति के अन्य सदस्यो में पूलिस अधीक्षक, सिचाई और बाढ़ प्रबन्ध विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, राहत के कार्यभारी अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रट (अ.जि.म.) में प्रत्येक से एक सदस्य, जिला परिषद के दो नामित सदस्य, ब्लाक स्तरीय पंचायत समिति में प्रत्येक से एक सदस्य, पंचायतो में से तीन से पांच सदस्य जो कि द्विवर्षीय चक्र के लिए नाम के प्रथम अक्षरो के आधार पर निर्वाचन किये जाऐगे, एक या दो सदस्य सामाजिक–राजनीतिक संगठनों में से एक सदस्य कृषि विज्ञान केंद्र से तथा कुछ गैर सरकारी संगठनो के प्रतिनिधि होंगें।

✶ इस समिति का सचिव अ.जि.म. (राहत) होगा।

✶ इस समिति के प्रमुख कार्य, बा.प.स. को यथासंम्भव स्वावलम्बी बनाने में सहायता करना होगा।

- ✶ सरकार की भूमिका सुविधा प्रदान करने की होगी न कि नियन्त्रण की। जैसे–जैसे बा. प्र.स. अधिक अनुभवी व संसाधनो युक्त होती जायेगी, यह भूमिका उत्तरोतर कम होती जानी चाहिये।
- ✶ जिला प्रशासन बाढ़ प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता रहेंगा, जब भी कोई बडा संकट आता हों तो उसे दूर करने में इसे स्वयं को क्रियाशील करना होगा।

3.2 सम्बंधो का क्षेत्र

बाढ़ से पूर्व, बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के बाद के समयो मे यह सम्बंध निम्नलिखित रुपों में हो सकता है।

3.2.1 बाढ़–पूर्व तैयारियाँ

- ✶ बाढ़ का सुचारु रुप से प्रबन्ध करने के लिए, जिला प्रशासन को बाढ़ काल के प्रारम्भ होने से कम–से–कम दो महीने पहले जिला स्तरीय बा.प्र.स. की बैठक बुलानी चाहिए जिसमें पिछले साल की बाढ़ प्रबंध मे सफलताओ व असफलताओ का पुनरावलोकन किया जायेंगा ताकि आने वाली बाढ के लिये सुचारु रुप से प्रबन्ध किये जा सके। बाढ़ प्रभावित होने वाले गावो की बाढ़ प्रबन्ध समितियों के प्रतिनिधियों को भी ऐसी बैठको मे आमन्त्रित किया जाना चाहिए।
- ✶ जिला प्रशासन, मनुष्य और पशुओ के लिये पर्याप्त सामर्थ्य तथा स्थान वाले बहु–उद्देश्यीय बाढ़ शरणालयों तथा पर्याप्त पशु शरणालयो का बनाने हेतू बाढ़ प्रबन्ध समिति को कोष उपलब्ध करवा सकता है।
- ✶ इसे बा.प्र.स. द्वारा बताये गये नदियों, नालों, नहरों के कटे तटबन्धों, सडकों, पुलों आदि की मरम्मत करनी चाहिए। यदि जिला प्रशासन कार्यरीति के कारणों ऐसा नही कर सकता तो इसे बा.प्र.स. द्वारा कराये कार्य की कीमत अदा करनी चाहिये।
- ✶ प्रशासन को जल्द से जल्द बाढ़ पूर्वानुमानों और चेतावनियों को बा.प्र.स. द्वारा चलाये जा रहे बाढ़ प्रभावित पंचायत के नियन्त्रण कक्षों को भेजनी चाहिए। इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा अखबारों में मौसम सम्भावित बाढ़ एवं बाढ़ के समय के बारे मे लगातार घोषणा की जानी चाहिए।
- ✶ ब.प्र.स. के द्वारा मोटर वोट की मांग पर इसे बाढ की भीषणता तथा अवधि पर आधारित इन नावो की तैनाती हेतू तैयार रहना चाहिए या इसके लिये बा.प्र.स. को कोष प्रदान करना चाहिए।
- ✶ इसे क्षेत्र में लैन्ड लाइन टेलीफोन तथा अन्य कडियो, मोबाईल/रोमिंग फोन, वाकी–टाकी सेट, HF/VHF वायरलैस सेट का प्रभावी रुप मे कार्य करने की सुनिश्चित व्यावस्था करनी चाहिए।
- ✶ इसे उचित वाहनों जैसे ऐम्बुलेस, जीप, ट्रेक्टरों का लिकं रोड पर बाढ़ पीड़ितों को निकालने हेतू पहले से प्रबन्ध करना चाहिये। आपातकाल में पीड़ितों को सुरक्षित पीने के लिये साफ पानी टेंकरों से उपलब्ध कराना चाहिए।
- ✶ इसे पहले से ही बाढ़ पीड़ितों के अस्थायी शरणालयों के लिए बाँस, खम्बो, चटाईयों, कालीनों, जूट बैग, तम्बुओं का प्रबन्ध बा.प्र.स. को सौंप देना चाहिये।
- ✶ इसे बाढ़ से आसानी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के पास के गोदामों में पूर्वअनुमानित आधार पर खाघ सामग्री, दूध पाऊडर आपातकलीन राशन का संचय करना चाहिए

तथा प्रभावित लोगों में जरुरत के हिसाब से समय पर बाँटने हेतू बा.प्र.स. को सौपना चाहिए।

- ✶ इसके पास बाढ़ काल के कम से कम एक महीने पहले पीड़ितो के लिए मिट्टी का तेल, गोबर के उपलों तथा L.P.G. (रसोई गैस) का पर्याप्त मात्रा मे संचय होना चाहिए तथा बा.प्र.स. को आवश्यकता अनुसार सौप देना चाहिए।
- ✶ आसानी से बाढ़ ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के समीप खासकर ब्लाक मुख्यालय मे पास इसे ब्लीचिंग पाऊडर, साबुन, पीने योग्य पानी, आम औषधियाँ का बा.प्र.स. के द्वारा बाँटे जाने के लिए, प्रबंध करना चाहिए।
- ✶ मरीजों का इलाज करने हेतू इसे डाक्टरों, नर्सो, आदि के स्टाफ की उचित स्थानों पर तैनाती का प्रबंध करने हेतू योजना बनानी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के लिए दवाईयाँ तथा सामान्य बीमारियाँ जैसे डायरिया के लिए दवाईयों का पर्याप्त मात्रा मे संचय किया जाना चाहिए।
- ✶ इसे पीड़ित पशुओं के उपचार हेतू चारा, दवाईयों तथा पशु–चिकित्सकों का प्रबंध करना चाहिए।
- ✶ इसे सेना आधिकारियों के साथ भी सम्पर्क स्थापित करने चाहिये ताकि आवश्यकता पड़ने पर समय पर उन्हें गुमशुदा लोगों की तलाश, राहत सामाग्री की आपूर्ति तथा अन्य सहायता के लिये हैलिकोप्टर और अन्य उपकरणों सहित उन्हे बुलाया जा सके।
- ✶ इसे बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों में बा.प्र.स. को सहायता देने के लिये एक आकस्मिक संकट योजना बनानी चाहिए तथा बा.प्र.स. से इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी मांगनी चाहिए।
- ✶ प्रदेशीय तथा केन्द्रीय विभागो जैसे रेलवे, डाक तार, राष्ट्रीय मार्ग, विधुत तथा अन्य केन्द्रीय ऊर्जा संगठनो से सम्पर्क करना चाहिये जिससे कि उनकी नीची जमीन यदि है तो उसमे जलभराव की समस्या को कम से कम करने के लिए, बा.प्र.स. को क्षेत्र तथा जिला प्रशासन से सम्पर्क करके उचित पेड़–पौधों को उगाने, लगाने को बढ़ावा देने की व्यावस्था की जा सके।

3.2.2 बाढ़ के दौरान प्रतिक्रिया

- ✶ सरकार को समय–समय पर सभी सम्बन्धित सम्प्रेषणों साधनों व स्थानीय भाषाओ द्वारा बाढ़ की तीव्रता, फैलाव व बाढ की अवधि पूर्वानुमानों के बारे मे जानकारी प्रसारित करनी चाहिए।
- ✶ इसे बा.प्र.स. द्वारा पीड़ितों व जरुरतमदों लोगों को, शरणालय, पशु–शरणालयों को अति दक्षतापूर्ण ढंग से उपलब्ध कराने मे सहायता करनी चाहिए।
- ✶ इसे बा.प्र.स. के द्वारा बाढ़ पूर्व अवधि के दौरान इकट्ठे किये गये सामग्री को निष्पक्ष ढंग से बाँटने का प्रबन्ध करना चाहिए।
- ✶ यह बा.प्र.स. द्वारा राहत सामग्री रोकड/वस्तु के रुप मे बंटवा सकती है।

3.2.3 बाढ़ के बाद पुनर्वास

- ✶ इसे राहत उपायों, राहत कैंपों, आवश्यक आधारभूत जरुरतों के प्रावधान, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य कल्याण, ग्रामीण सम्प्रेषण साधनों, सामूहिक रसोईघरों, पशु कैंपों, पशु–चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल तथा मोटर वोट का प्रबोधन करना चाहिए।

- इसे निवास–हीन लोगों के बचाव व पुनर्वास के कार्यो की प्रगति का समय समय पर पुर्वालोकन करना चाहिये।
- इसे दोबारा बोने के लिए बीजों का प्रबन्ध करने व बुनायादी भौतिक ढाँचे की मरम्मत में बा.प्र.स. की सहायता करनी चाहिए।
- इसे बड़े मार्गों, पुलों, पुलियों जन सेवाओं जैसे स्कूल, सरकारी भवन, टेलीफोन लाइने, आदि के मरम्मत का भार लेना चाहिए जिससे कि जन जीवन सामान्य स्थिति मे आ जायें।
- इसे बीजों, खाद, कीट नाशक दवाओं, छोटी पौधों के वितरण तथा आसान ऋणों द्वारा क्षेत्रों में कृषि गतिविधियाँ दोबारा शुरु करने मे सहायता करनी चाहिये।
- इसे लधु एवं कुटीर उधोगों जैसे मुर्गीपालन, बागवानी, Agroforestry जनित गतिविधियों जैसे नर्सरी लगाना आदि के द्वारा परिवारों को आय अर्जित करने मे सहायता प्रदान करनी चाहिये।

परिशिष्ट–।
(पारा 2.1.13 तथा 2.3.4 से सम्बन्धित)

फसल लगाने का मासिक पंचांग

बिहार

अप्रैल

- हरे चना, cowpea तथा दालें जैसे मूँग और उड़द आदि के लिए भूमि तैयार करना
- मई, जून मे रोपाई के लिए धान की पौध तैयार करना।
- गेहूँ, जौ, रबी, मकई, तम्बाकू, शकर कन्द तथा मिर्च की कटाई करना।
- गेहूँ की गहाई करना।

मई

- धान की बुवाई/रोपाई तथा खरीफ मकई या पटुवा (सन) की फसल बोने के लिए भूमि तैयार करना।
- ग्रीष्म ऋतु की दाल की कटाई तथा गेहू की गहाई करना।
- रबी मकई की कटाई करना।

जून

- धान की सीधी बुवाई या रोपाई तथा खरीफ मकई व दालो की बुवाई।

जुलाई

- धान, मकई तथा खरीफ की अन्य फसलों की निकाई गुडाई तथा खरपतवार निकालना।
- नाइट्रोजन खाद का छिडकाव करना।
- धान, मकई, पटुवा (सन) तथा अन्य खरीफ की फसलों का पूर्ण रुप से विरलीकरण करना।

अगस्त

- धान और खरीफ की फसल की निकाई गुडाई करना।
- नाईट्रोजन खाद का छिड़काव करना।
- बीमारियों व कीट आदि की रोकथाम के कार्य करना।
- धान व मकई के लिये अच्छा जल प्रबन्धन करना।

सितम्बर

- खरीफ की मक्का, दाल और अगेती धान की कटाई करना।
- जाडे (सर्दी) के धान के लिए जल प्रबन्धन करना।
- पटुवा (जूट)/सन की कटाई तथा उन्हे मुलायम करना।

- रबी के तिलहन/दाल, आलू की फसल के लिए भूमि तैयार करना तथा अलसी आदि फसल का बोना।

अक्टूबर

- शरद ऋतु के धान की कटाई करना तथा इसकी गडाई करना।
- शरद ऋतु के धान मे कीटनाशक दवाएँ डालना।
- सरसो, मटर, रबी की मक्का तथा आलू बोना।
- पिछेती खरीफ की फसल की कटाई करना।

नवम्बर

- गेहूँ, जौ, तम्बाकू, दाल (अरहर) तथा मिर्च के लिए भूमि तैयार करना।
- गेहूँ की फसल बोना।
- शरद ऋतु (सर्दी) के धान तथा गन्ने की फसल को कटाई करना।

दिसम्बर

- शरद ऋतु (सर्दी) के धान व गन्ना की कटाई व गहाई करना तथा गेहूँ की फसल बोना।
- गेहूँ, मक्का तथा दाले आदि की निकाई गुडाई करना तथा खरपत वार निकालना।
- पानी का प्रबन्ध करना/सिंचाई करना।

जनवरी

- फसल मे कीडे मकोडे तथा बिमारियों की रोकथाम करना।
- अगेती सरसो की कटाई करना।
- गेहूँ/मक्का की सिंचाई/जल प्रबन्धन करना।

फरवरी

- गेहूँ/मकई की सिंचाई जल प्रबन्धन करना।
- सरसो की फसल को काटना।
- ग्रीष्म ऋतु की दाले व बसंत मक्का के लिए भूमि तैयार करना।

मार्च

- ग्रीष्म ऋतु की दालो के लिए भूमि तैयार करना।
- ग्रीष्म ऋतु की दाल को बोना।
- मटर व आलू की कटाई करना।
- मटर की कटाई और धान के खेत मे उतेरा फसल अलसी की कटाई करना।

परिशिष्ट – 2
पारा 2.1.15 के सन्दर्भ में

आरोग्यता तथा स्वच्छता के लिए प्रयोग किये जाने वाले सुझाये गये तरीके

1 कुएं के पानी का विसंक्रमण

- ★ बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के बाद कुएं के पानी के सभी स्रोतों का पूर्णतया विसंक्रमण किया जाना चाहिए। (गोल कुएं में पानी का आयतन लगभग = 0.785 x D^2 x H x 1000 जहां D तथा H क्रमशः मीटर में कुएं के व्यास तथा पानी में गहराई हैं।)
- ★ विसंक्रमण के लिये ब्लीचिग पाउडर को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा पानी में अवशेष क्लोरिन 0. 3–0.4 मि. ग्रा./लि. प्राप्त करने के लिए इसे 4–6 मि. ग्रा./लि. की दर से 6MS/1 का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए रसायन की मात्रा निश्चित करने के लिये कुछ परीक्षण आवश्यक हो सकते हैं।
- ★ विसंक्रमण के बाद 0.2–0.4 मि.ग्रा./लि. अवशेष क्लोरीन उपलब्ध करने के लिए डबल पॉट क्लोरीनैटर जल में लगातार लटकाया जाना चाहिए। उपयोग के आधार पर दुबारा रिचार्ज के लिये यह 2–4 हफ्ते तक ठीक रह सकता है।

2. तालाबों का विसंक्रमण

- ★ तालाबों के विसंक्रमण हेतू यह महत्त्वपूर्ण है कि अघुलनशीलता तथा विलयशील अशुद्धिया को हटा कर पानी को साफ किया जाना चाहिए। (पानी का आयतन = $^1/_3$ x ऊंचाई x चौड़ाई x पानी की अधिकतम गहराई)
- ★ साफ करने के लिये और अशुद्धियों के बेहतर गुच्छे बनने हेतु अधिकतर फिटकरी के साथ चूने का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुभवों पर आधारित नियमानुसार 40 मि.ग्रा./लि. तथा 20 मि.ग्रा./लि. फिटकरी तथा चूना क्रमशः मात्रा में होने चाहिए। इस खुराक में 1 लीटर पानी के साथ कुछ परीक्षणों के बाद परिवर्तन किया जा सकता हैं। (एक 250 मि.ली. के साफ बीकर में पानी में रसायनों को मिलाकर बीकर को प्रकाश के सामने रखने से अशुद्धियों के गुच्छे पानी में आसानी से देखे जा सकते हैं।)
- ★ फिटकरी के 3–5 सेमी. के छोटे–छोटे टुकड़ों में तोडा जाना चाहिए और उन्हें जूट के बोरों में रख कर पानी में केले/बांस के बेड़ों से लटकाए जाने चाहिए।
- ★ चूने के टुकड़े भी इसी प्रकार से दूसरे बोरे में रखे जाने चाहिए।
- ★ बेड़ों को तालाब में आड़ा तिरछा खींचा जाना चाहिए तथा बांस से रसायन को पानी में अच्छी तरह मिश्रित किया जाना चाहिए। 4–5 घन्टे के बाद जब पानी पर्याप्त रूप से साफ हो जाता है तो विसक्रमण कारक मिलायें।
- ★ ब्लीचिंग पाउडर से उपलब्ध क्लोरीन एक सर्वोतम इच्छित शुद्धिकरण विसंक्रमण कारक है। क्लोरीन की खुराक को निर्धारित करने हेतु लम्बी समय से संचित ब्लीचिंग पाउडर की शक्ति 20 प्रतिशत और ताजा ब्लीचिंग पाउडर की शक्ति 30 प्रतिशत मानी जाये। पानी की गुणवत्ता के आधार पर ही ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा आधारित होगी। 10 मि.ग्रा./ब्ली. पा. से शुरू करते हुए 30 मि.ग्रा. पानी में अवशेष क्लोरिन नापी जाय। लगभग 0.4 मि.ग्राम/1 लि. स्वीकार्य है। अन्यथा ब्लीचिंग पाउडर की खुराक कम या ज्यादा करते रहना चाहिए जब तक हमको क्लोरीन का इच्छित स्तर को प्राप्त नहीं हो जाता है।

★ मछलियों एवं जल प्राणियों के बचाव हेतु ब्लीचिंग पाउडर के घोल को स्थानीय सान्द्रीकरण से बचा जाये; एक बार में प्लासिटक की बाल्टी में 10 लि. पानी में $^1/_2$ किलो ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर पानी में छिड़कें और बांस से अच्छी तरह मिश्रित करें। जब तक ब्लीचिंग पाउडर की पूरी मात्रा प्रयोग नहीं हो जाती तब तक इस प्रक्रिया को दोहराइये। लम्बे समय तक अवशेष क्लोरीन को इस स्तर पर बनाये रखना सम्भव नही है। इसलिए यह बेहतर है कि एक बार पूरे पानी को साफ किये जाने के बाद इसमें दो डबल पॉट क्लोरीनेटर पानी लेने के स्थान पर बाँस से पानी में लटका दिये जायें। ये क्लोरीनेटर पानी में क्लोरिन को लगातार फैलाते रहेंगे।

★ 7–15 दिन बाद (अवशेष क्लोरिन का स्तर 0.2–0.4 मि.ग्रा./लि. के लिये जांचने के बाद) क्लोरीन की दोबारा पूर्ति के लिये ब्लीचिंग पाउडर मिलायें (रसायन की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु 1 मि. ग्रा./लि. खुराक मान कर चलें)

3. पानी को साफ करने के पैकेट

★ बाढ़ वाले पानी या भारी कीचड़ वाले पानी के लिए हैलोजन की गोलियां या कोई शुद्ध करने वाला और विसंक्रमणन कारक काम नहीं सकता। जल के शुद्धिकरण के लिए पानी को शुद्ध करने वाले पैकेट ही उचित माने जाते हैं।

★ बा.प्र.स. के स्वयंसेवकों द्वारा गांव में यह पैकेट बनाये जा सकते हैं। इस प्रकिया में चूना, फिटकरी तथा ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग किये जाते हैं।

★ फिटकरी के चूर्ण (30 ग्रा.) को प्लास्टिक के गर्मी से सील किये पैकेट में रखा जाता है। 15 ग्रा. चूना तथा 2 ग्रा. ब्लीचिंग पाउडर मिश्रित करके गर्मी से सील किए गए दूसरे प्लास्टिक के पैकेटों में फिटकरी के पैकेट के साथ रखा जाता हैं। उपयोग की विधि बताने वाला एक छोटा इश्तहार भी पैकेट में रखा जाता है। $^1/_2$ चाय का चम्मच फिटकरी और $^1/_2$ चाय का चम्मच चूने तथा ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण एक बाल्टी में 10–12 लि. पानी में एक मिनट तक तीव्र मंथन किया जाता है फिर 5–10 मिनट तक धीरे धीरे मंथन किया जाता है। इस पानी को 2–3 घंटे अशुद्धियों को नीचे बैठने तक रख दिया जाता है। उसके बाद ऊपर का साफ विसंक्रमित जल साफ कपड़े में छान लिया जाता है।

★ उसके बाद यह पानी पीने के लिये तैयार हो जाता है। एक पैकेट 300 लीटर बाढ़ के पानी को शुद्ध कर सकता है। बाढ़ के दौरान की स्थिति में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के बीच में पानी शुद्ध करने वाला यह पैकेट सबसे सस्ता तथा बहुत लोकप्रिय पानी शुद्ध करने का साधन है।

★ **चलायमान पैकेज जल शोधन यंत्र:**

एक खींची जाने वाली गाड़ी में लगा हुआ कम कीमत का यन्त्र है जिसे बाढ़ के पानी को शुद्ध व विसंक्रमित करने के लिये ऊंची नीची भूमि पर रस्सा बाधकर खीचा जा सकता है और यह इस प्रकार कच्चे पानी तथा पीने के पानी की समस्या को हल कर सकता है।

★ 2 X 1.8 X 2.2 मी. का यन्त्र 3 घन मीटर/घंटा के हिसाब से जल शुद्ध कर सकता है तथा दो पालियों में 2000 लोगों को सेवा प्रदान कर सकता है।

★ यह हर प्रकार के बीमारी पैदा होने वाले बैक्टीरिया, के साथ–साथ जहरीले रसायन जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक और लौह को शुद्ध कर सकता है। यह सामान्य रसायनों जैसे फिटकरी, चूना, ब्लीचिंग पाउडर के साथ (अगर आवश्यक हो) पोलिइलैक्ट्रोलाइट प्रयोग करता है।

★ एक अर्ध कौशल व्यक्ति इस यंत्र को चला सकता है।

★ यह छोटा है तथा इसे यंत्र के लिये पानी उठाने को छोडकर बिजली की आवश्यकता नही होती है।

★ एक दूसरे प्रकार के यन्त्र में किसी भी प्रकार का रसायन मिलाए जाने के लिए आवश्यक नहीं है। यह एल्यूमीनियम/ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड में डाल कर विद्युत विश्लेषण विधि द्वारा दूषित पानी को साफ करने के साथ–साथ विसंक्रमण भी करता है।

★ विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रत्येक 10,000 व्यक्तियों के लिए 4 यन्त्रों के प्रयोग का परामर्श देता है।

5. **शुद्धिकरण के अन्य तरीके**

★ **उबालना:–** यह एक अच्छी विधि है /पानी को खूब उबाला जाना चाहिए। 1 लीटर पानी के लिए 1 किलो लकड़ी ईंधन की आवश्यकता होती है।

★ सोडियम, हाइपोक्लोराइड (NaoCl) जिसमें 5–10 प्रतिशत क्लोरीन होती है । पानी में आसानी से घुल जाता है।

★ **क्लोरीन की गोलियां:–** यह हैलोजन के नाम से भी जानी जाती है यदि जल –स्वच्छ हो तो यह सही काम करती है लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया जनित संक्रमण के लिये। प्रत्येक 2.5 ग्रा. की गोली 240 लीटर पानी को साफ कर सकती है लेकिन बाढ के पानी में यह अनुपयुक्त होती है।

6. **ORS की तैयारी**

★ निर्जलीकरण से बचने के लिये ORS के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनायें ।

★ एक लीटर उबाल कर ठण्डे किये गये पानी में एक चल्लू भर चीनी/गुड़, तीन चुटकी नमक मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। और यह घोल निर्जलीकरण से पीड़ित व्यक्ति को दिन रात हर पाँच मिनट के बाद घूंट भरभर देते रहें चाहे वह उल्टी करे तब भी ऐसा तब तक करते रहें, जब तक उसे सामान्य मूत्रा आना शुरू हो जाये तथा ठीक हो जाए। एक भारी व्यक्ति को एक दिन में तीन लीटर पानी या ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एक छोटे बच्चे के लिए कम से कम एक लीटर। अगर एक व्यक्ति ज्यादा नहीं पी सकता तो सुई द्वारा शिरा में घोल चढ़ाने के लिये डाक्टरी सहायता तुरन्त दिलाई जाये।

7. **सांप द्वारा काटे जाने पर**

जहरीले साँप के डंक के लिए प्रथम उपचार के लिए सलाह :

★ शांत रहें : जिस व्यक्ति को सांप ने पैर में काट लिया हो तो उसे चलना नही चाहिए – एक कदम भी नहीं। उसे स्ट्रेचर पर ले जाओ।

★ सांप के काटे स्थान के ठीक ऊपर एक कपड़े को कस कर बांध दें। बहुत ज्यादा कस कर नही बांधे। तथा उसे हर आधे घन्टे बाद खून के दौरे के लिए खोलते रहें।

★ आग पर गर्म करके कीटाणु मुक्त एक चाकू की मदद से काटे गये स्थान पर एक से.मी. लम्बा तथा आधा से.मी. गहरा कट लगाएं। तथा उसके बाद जहर को चौथाई घन्टे तक चूसकर थूकें। (ध्यान रखें जहर चूसने वाले व्यक्ति के मुंह में कोई जख्म न हो।)

8. **बिच्छू द्वारा काटे जाने पर**

★ अगर वयस्क व्यक्ति को पहली बार काटा है तो निम्नलिखित को करें–

★ उसे एसपरिन दें और अगर सम्भव हो तो काटने की जगह पर बर्फ रखें।

★ यदि वयस्क व्यक्ति दूसरी बार काटा गया है तथा पाँच साल से नीचे के बच्चों के लिए उसे तुरन्त तेजी से डाक्टरी मदद दिलवायें।

9. **घरेलू मक्खियों का नियन्त्रण:–**

★ सफाई ही इन्हें नियन्त्रण करने की एकमात्रा प्राकृतिक विधि है।

– डेल्टामेथ्रिन मात्रा 0.0075 – 0.015 ग्रा. प्र. वर्ग मी.

– परमेथ्रिन मात्रा 0.0625

– पिरिमिफासमिथाइल 1.0 – 2.0

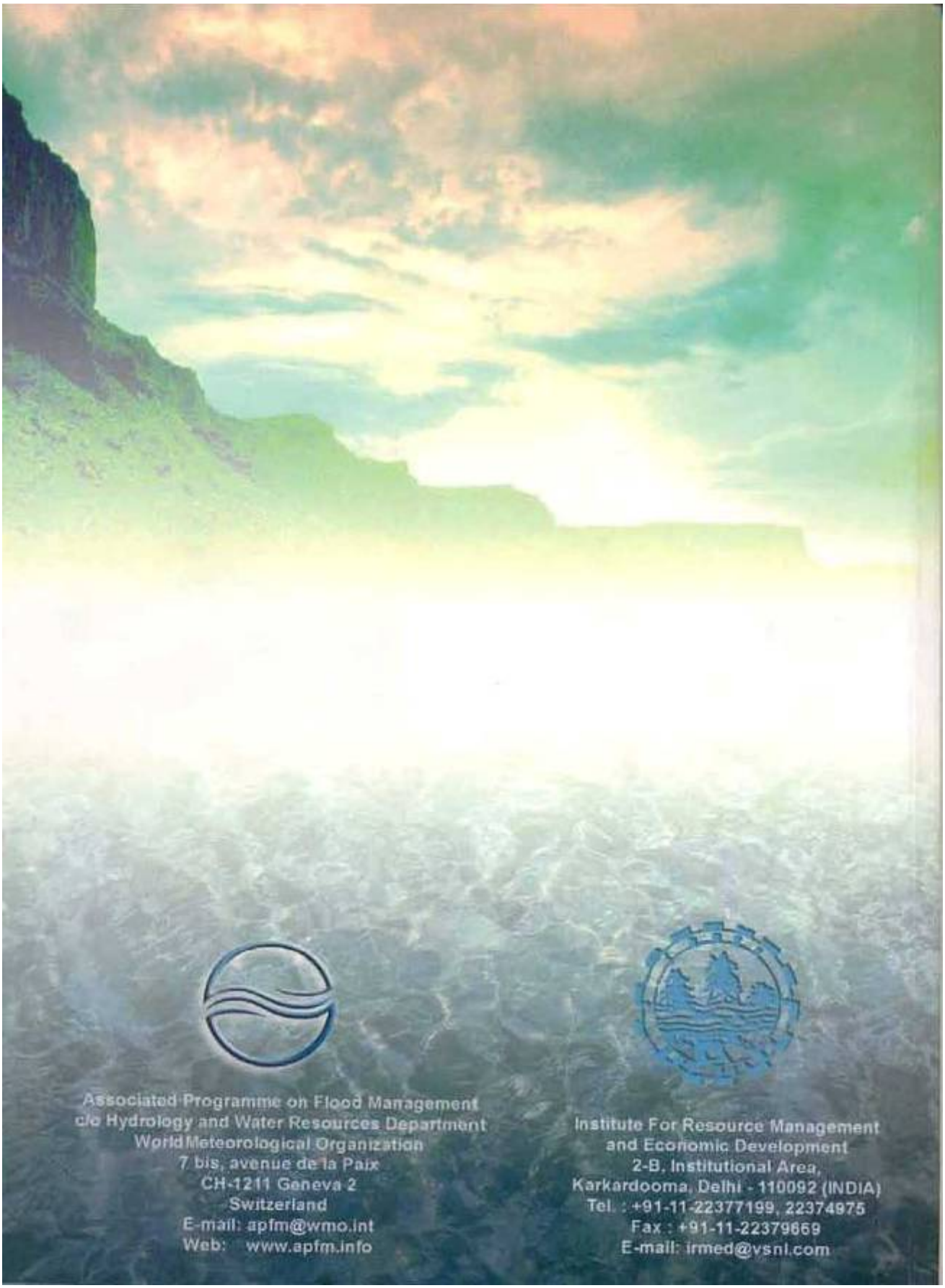

Associated Programme on Flood Management
c/o Hydrology and Water Resources Department
World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
E-mail: apfm@wmo.int
Web: www.apfm.info

Institute For Resource Management
and Economic Development
2-B, Institutional Area,
Karkardooma, Delhi - 110092 (INDIA)
Tel. : +91-11-22377199, 22374975
Fax : +91-11-22379669
E-mail: irmed@vsnl.com